भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3269

(जिसका उत्तर सोमवार, 9 अगस्त, 2021/18 श्रावण, 1943 (शक) को दिया जाना है)

सीएसआर प्रावधानों का उल्लंघन

3269. **श्री मनोज तिवारीः**
श्री सुब्रत पाठकः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री रविन्दर कुशवाहाः
श्री रवि किशनः
श्री प्रतापराव जाधवः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री चंद्र शेखर साहूः
श्री बिद्युत बरन महतोः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मौजूदा कानूनी प्रावधानों जैसे अनिवार्य एकटीकरण, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति और बोर्ड की जवाबदेही, कंपनी के खातों की वैधानिक लेखा-परीक्षा के प्रावधान आदि निधि के उपयोग के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय प्रदान करते हैं;

(ख) यदि हां, तो सीएसआर उपबंधों के उल्लंघन के कितने मामले सामने आए हैं और रिकॉर्ड की उचित जांच तथा सम्यक विधि प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई शुरू की गई हैं;

(ग) वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उपलब्ध सीएसआर निधि और प्रत्येक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सीपीएसयू की सीएसआर निधि के उपयोग का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसे प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन से हैं, जिनके लिए सीएसआर निधि सहायता पर विचार किया गया है और उनका उपयोग किया गया है; और

(च) क्या सीएसआर के अंतर्गत विशेषकर देश के पर्वतीय क्षेत्रों में खर्च की जा रही धनराशि के संबंध में कोई प्रभावी उपाय किए गए हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): कॉरपोरेटों की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियां कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 135, उसके तहत बनाए गए कंपनी (सीएसआर नीति) नियमों और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए अनुसार अधिनियम की अनुसूची-VII के अनुसार शासित की जाती हैं।सीएसआर संरचना प्रकटन आधारित है और सीएसआर अनिवार्य कंपनियों को एमसीए21 रजिस्ट्री में सीएसआर

गतिविधियों का वार्षिक विवरण दर्ज करना आवश्यक है। जब भी सीएसआर उपबंधों के किसी भी उल्लंघन की सूचना दी जाती है, तो ऐसी गैर-अनुपालन वाली कंपनियों के खिलाफ कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार रिकॉर्ड की उचित जांच और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद कार्रवाई शुरू की जाती है। अब तक, 366 मामलों में अभियोजन के लिए मंजूरी दी गई है। इनमें से समझौते के लिए 148 आवेदन किए जा चुके हैं और 75 मामलों में समझौता हो चुका है। इसके अतिरिक्त सीएसआर प्रावधानों का गैर-अनुपालन 22 जनवरी, 2021 से सिविल दोष घोषित कर दिया गया है।

(ग) से (घ): एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा दर्ज सीएसआर से संबंधित सभी डाटा, जिसमें कंपनी-वार और राज्य-वार शामिल हैं, www.csr.gov.in सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध है। अधिनियम के अनुसार, कंपनियों को वित्त वर्ष के अंत से 6 महीने की भीतर वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की आवश्यकता है। इसके बाद, वित्तीय विवरण और सीएसआर के बारे में प्रकटीकरण वाली बोर्ड रिपोर्ट एजीएम को 30 दिनों के अन्दर एमसीए21 में दर्ज की जानी है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सीएसआर डाटा उपलब्ध नहीं है।

(ङ) और (च): अधिनियम की अनुसूची-VII उन गतिविधियों को इंगित करती है जिन्हें कि सीएसआर के रूप में शुरू किया जा सकता है और व्यापक तौर पर स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षण, पर्यावरण, खेल, धरोहर, कला और संस्कृति, ग्रामीण विकास, गंदी बस्ती के क्षेत्र का विकास, आपदा प्रबंधन, वृद्ध आश्रम की स्थापना, डे-केयर केंद्र, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों आदि द्वारा सामना की जा रही असमानताओं में कमी लाने हेतु उपायों से संबंधित है। अधिनियम के तहत सीएसआर एक व्यापक स्तर पर चलने वाली प्रक्रिया है और कंपनी का बोर्ड अपनी सीएसआर समिति के सिफारिश के आधार पर योजना बनाने, निर्णय देने, निष्पादन करने और सीएसआर गतिविधियों की निगरानी करने की शक्ति रखता है। सरकार किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र अथवा गतिविधि में खर्च के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं करती।

****